



# भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS नीवहन महानिदेशालय, मुंबई DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फा.सं. 23-विविध/35/2024-क्रू-नौमनि

<u> दिनांक: 09.05.2024</u>

### सलाह

विषय: समुद्रकर्मियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को सतर्क रहने और धोखाधड़ी वाली योजनाओं का शिकार होने से बचने की सलाह-संबंधी।

इस निदेशालय के ध्यान में यह बात आई है कि ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें लोग जलयानों पर समुद्रकर्मियों के साथ जुड़े होने का झूठा दावा कर रहे हैं या सीमा शुल्क, राज्य पुलिस विभागों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), आप्रवासन अधिकारियों और मंत्रालय आदि के सरकारी अधिकारियों जैसे कानून लागू करने वाले अधिकारी होने का दिखावा कर रहे हैं और धोखाधड़ी के बहाने समुद्रकर्मियों के परिवार के सदस्यों से पैसे की मांग कर रहे हैं।

- 2. ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां अज्ञात व्यक्तियों ने टेलीकॉल, व्हाट्सएप संदेश और ईमेल आदि के माध्यम से समुद्रकर्मियों के परिवार के सदस्यों से संपर्क किया है और आरोप लगाया है कि पोतों पर काम करने वाले उनके परिवार के समुद्रकर्मी सदस्य तस्करी, नशीले पदार्थीं, चोरी, बलात्कार और हत्या आदि जैसी गंभीर अवैध गतिविधियों में शामिल हैं और उनकी रिहाई या सहायता के लिए पैसे की मांग की गई है। ये दावे आम तौर पर झूठे होते हैं और परिवार के बेखबर सदस्यों को धोखा देने और उनका शोषण करने के लिए किए जाते हैं।
- 3. नौवहन महानिदेशालय, समुद्रकर्मियों के परिवार के सभी सदस्यों को ऐसी कॉल या ईमेल प्राप्त करते समय अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह देता है क्योंकि ऐसी कॉल करने वाले, संदेश या ईमेल भेजने वालों के सटीक विवरण का पता लगाना आवश्यक होता है और इनकी बातों में न आएं तथा निश्चित रूप से पता लगाए बिना अज्ञात व्यक्तियों को पैसे हस्तांतरित करने से बचें।
- 4. आग्रह है कि ऐसी कॉल या ईमेल प्राप्त होने की स्थिति में, समुद्रकर्मियों के परिवार के सदस्यों से सतर्क रहने और तुरंत उस रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विसेज (आरपीएस) एजेंसी के संबंधित नोडल अधिकारी या पोतस्वामी के प्रतिनिधियों को मामले की सूचना दें जिसके माध्यम से समुद्रकर्मी को पोत पर संविदात्मक रूप से नियुक्त किया गया है। आगे उत्पीड़न को रोकने तथा हमारे समुद्रकर्मियों तथा

कानून लागू करने वाले संबंधित अधिकारियों को सचेत करके संबंधित मामले पर विचार करने का एतद्वारा निर्देश दिया जाता है।

- 5. निदेशालय संबंधित प्रत्येक हितधारक को सलाह देता है कि हमारे समुद्रकर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए एकत्र होकर कार्य करें और उन्हें ऐसी धोखाधड़ी वाली योजनाओं का शिकार न बनने दें।
- 6. ऐसे मामलों पर अधिक पूछताछ या सहायता के लिए, निदेशालय के डीजी कॉम सेंटर / मर्केटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर (एमएमडीएसी) से फोन: +91-22-22612351, ईमेल: dgcommcentredgs@nic.in पर 24x7 तैनात व्यक्ति से संपर्क करें।

कप्तान (डॉ) डैनियल जोसफ उप नौवहन महानिदेशक (क्रू)

## सेवा में,

- 1. सभी समुद्रकर्मी एवं उनके परिवार के सदस्य।
- 2. सभी पोत स्वामी।
- 3. आरपीएस एजंसियां।
- 4. सम्द्रकर्मी यूनियन।





# भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS नीवहन महानिदेशालय, मुंबई DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

Date: 09.05.2024

F. No. 23-MISC/35/2024-CREW-DGS

## ADVISORY

Sub: Advisory to seafarers and their family members to be vigilant and avoid falling prey to deceitful schemes - reg.

It has come to this Directorate attention that there have been incidents involving individuals falsely claiming to be associated with seafarers' onboard vessels or pretending to be as from law enforcing authorities such as Customs, State Police Departments, Central Bureau of Investigation (CBI), Immigration Officials and Govt. officials from Ministry etc., and soliciting money from their family members under fraudulent pretences.

- 2. Numerous cases have come to light, where unknown individuals by telecalls, WhatsApp messages and emails etc., have contacted the family members of seafarers, alleging that their seafarers' working on ships have been involved in serious illegal activities such as smuggling, narcotics, theft, rape and murder etc. and have demanded money for their release or assistance. These claims are generally false and are designed to deceive and exploit unsuspecting family members.
- 3. The Directorate General of Shipping, strongly advises all family members of seafarers to exercise extreme caution and vigilant while receiving such calls or emails as it is crucial to ascertain the exact details of such caller, message or email sender and NOT to entertain these requests and refrain from transferring money to unknown individuals without proper verifications.
- 4. In the event of receiving such calls or emails, the family members of seafarers are urged to be cautious and immediately inform the matter to the concerned nodal official of the Recruitment and Placement Services (RPS) agency or the ship-owners representatives through which the seafarer has been employed contractually onboard vessel. The RPS agencies / ship-owners are here by directed to immediately take up the concerned matter by alerting the concerned law enforcing authorities to prevent further victimization and ensure the safety, security of our seafarers and their family members.

- 5. The Directorate advises every stakeholder concerned to collectively work together to safeguard the interests of our seafarers and their family members and prevent them from falling prey to such deceitful schemes.
- 6. For further queries or assistance on such matters, please contact the 24 x 7 manned Directorates DG Comm Center / Mercantile Marine Domain Awareness Center (MMDAC) by Tel: +91-22-22612351, Email: <a href="mailto:dgcommcentre-dgs@nic.in">dgcommcentre-dgs@nic.in</a>

Capt. (Dr.) Daniel J Joseph Dy. Director General of Shipping (Crew)

To,

- 1. All seafarers and their family members
- 2. Indian Ship-owners
- 3. RPS Agencies
- 4. Seafarer Unions